पत्र सं0–प्र0–10/गृ0नि0अ0 (स्पष्टीकरण)–01/2019 290/वि0(अ0)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक – 19-3-19

प्रेषक,

साँवर भारती,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः– **दिनांक–01.07.2017 के पूर्व स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम के स्पष्टीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प सं0–420, दिनांक–21.01.2000, 3830, दिनांक–25.05.2018 तथा परिपत्र सं0–887, दिनांक–26.05.2006 में अंकित प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम की स्वीकृति दी जाती है। वित्त विभागीय सं0 सं0–420, दिनांक–21.01.2000 की कंडिका–8 (vii) के आलोक में परिवार नियोजन के अन्तर्गत छोटा परिवार रखने वाले आवेदक को सूद की दर में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दिये जाने का प्रावधान है।

2. केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम, 2017 में छोटे परिवार के मानदंडों के विषय पर दिनांक–31.01.2018 के कार्यालय ज्ञापांक–1–7011/11 (4) 2016/एच–III के अनुसार गृ0नि0अ0 के लाभार्थियों को ब्याज पर दी जा रही सूद में 0.5 प्रतिशत की छूट दिनांक–01.07.2017 से समाप्त कर दी गयी है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा उक्त प्रासंगिक मामले में निदेश दिया गया है कि बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए गृ0नि0अ0 के लाभर्थियों को बिहार सरकार द्वारा अपनाये गये गृ0नि0अ0 संबंधी नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4. केन्द्र सरकार के उक्त निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक–01.07.2017 से पूर्व में प्राप्त गृ0नि0/वृह0 अग्रिम के लाभ्यर्थियों को सूद की दर में छोटे परिवार वाले कर्मियों को सूद की दर में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुमान्य होगी। विदित है कि उक्त तिथि के बाद यह लाभ देय नहीं होगा।

विश्वासभाजन

(साँवर भारती)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

Sec-10/Deepshikha/Asst-Dhruv Prasad-Grih Nirman